न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 34 / 2025(GCMS 2025/200)

श्री दीपक सारस्वत, एडवोकेट ब्रह्मपुरी कॉलोनी, गली नं. 3, श्रीगंगानगर 335001

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

28.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दीपक सारस्वत बहस के समय स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2025 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दीपक सारस्वत ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> यहकि आपके कार्यालय द्वारा तेजरा पूनिया पुत्र रघुनाथ पूनिया के नाम जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण क्रमांक RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग/21375052062 दिनांक 24082021 में प्रस्तुत आवेदन, शपथ पत्र व संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रति।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सूचना का अधिकार/2025/ दिनांक **27.05.2025** से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी श्री दीपक सारस्वत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तृतीय पक्ष की सूचना चाही गई है, जिसकी सूचना अपीलार्थी श्री दीपक सारस्वत को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूकाअ / न्याय / 2025 / 22 दिनांक 07.04.2025 को भिजवाई दी गई थी।

श्रीमानजी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील के संबंधमें निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्ष से है। इसलिए इस कार्यालय के पत्र क्रमांक सूचना का अधिकार / 2025 / 40 दिनांक 28.05.2025 के द्वारा श्री तेजस पूनिया पुत्र श्री रघुनाथ पूनियां से आपत्ति के संबंध में लिखा गया है कि अगर श्री तेजस पूनिया पुत्र श्री रघुनाथ पूनिया को उनके जाति प्रमाण पत्र क्रमांक 21375052062 दिनांक 24.08.2021 से सम्बन्धित दस्तावेज तृतीय पक्ष श्री दीपक सारस्वत को दिये जाने पर कोई आपत्ति है तो आपत्ति पेश करें अन्यथा निश्चित समय के बाद सभी दस्तावेज तृतीय पक्ष को उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित विभाग को लिख दिया जाएगा।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। **तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के [illegible] करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के [illegible] नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत [illegible] अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदा[illegible] करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है और सहायक लोक सूचना अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया है वह सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि श्री तेजस पूनिया द्वारा आपत्ति प्रस्तुत न की जाये तो अपीलार्थी को वांछित देय सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार अनुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.5.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:51 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

श्रीगंगानगर